रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, जून 24—जून 30, 2012, शनिवार/आषाढ़ 3—आषाढ़ 9, 1934
No. 26] NEW DELHI, JUNE 24—JUNE 30, 2012, SATURDAY/ASADHA 3—ASADHA 9, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

योजना आयोग

नई दिल्ली, 28 जून, 2012

सा.का.नि. 156.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 199, दिनांक 11 मई, 2000 को प्रकाशित योजना आयोग (संयुक्त सलाहकार) भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग (संयुक्त सलाहकार) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

1	2	3
23.	Polyethylene polyester laminates	30
24.	Nylon-6 film	60
25.	Polyethylene film	60
26.	Polyethylene terephthalate film	60
27.	Vegetable parchment	60
28.	Vinyl chloride-vinyl acetate co-polymer	60
29.	Acrylonitrile copolymers	60

Schedule - IV

[see clause (d) rule 6]

Dosimetry for Food and Allied Products

Dosimeter	Readout system	Usable absorbed dose range Gray
Alanine	Electron Paramagnetic Resonance spectrometer	$1 - 10^5$
Dyed polymethyl methacrylate	Spectrophotometer	$10^2 - 10^5$
Clear polymethyl methacrylate	Spectrophotometer	$10^3 - 10^5$
Cellulose acetate	Spectrophotometer	$10^4 - 4 \times 10^5$
Lithium borate, lithium fluoride	Thermoluminescence reader	$10^{-4} - 10^3$
Lithium fluoride (optical grade)	Spectrophotometer	$10^2 - 10^6$
Radiochromic dye films, solution, optical wave guide	Spectrophotometer	$1 - 10^5$
Ceric cerous sulfate solution	Spectrophotometer or potentiometer	$10^3 - 10^5$
Ferrous sulfate solution	Spectrophotometer	$20 - 4 \times 10^2$
Potassium/Silver dichromate	Spectrophotometer	$10^3 - 10^5$
Ferrous cupric sulfate solution	Spectrophotometer	$10^3 - 5 \times 10^3$
Ethanol chlorobenzene solution	Spectrophotometer, colour titration, high frequency conductivity	$10 - 2 \times 10^6$
Amino acids	Lyoluminescence reader	$10^{-5} - 10^4$
Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor	Voltmeter	$1 - 10^2$

[F. No. AEA/17/1/2006-ER]

RAHUL KULSHRESHTH, Jt. Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 2012

सा.का.नि. 159.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 31 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष की नियुक्ति एवं अर्हताओं की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. लघु शीर्षक और आरंभ.—(1) इन नियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (नियुक्ति की प्रक्रिया और अध्यक्ष की अर्हताएं) नियम, 2012 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वेतन और भत्ते.—अध्यक्ष को वेतनमान 75000 रु.—80000 रु. (उच्च प्रशासनिक ग्रेड + वेतनमान) तथा 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि के अनुसार वेतन प्राप्त होगा ।

3. आयु-सीमा.—नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की आखिरी तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

4. नियुक्ति की प्रक्रिया और अवधि.—नियुक्ति, कार्याकाल के आधार पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित) अधिकतम चार वर्ष के लिए या 60 वर्ष तक की आयु तक के लिए, जो भी पहले हो, होगी ।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें वर्तमान नियुक्ति के ठीक पहले केन्द्र सरकार के इसी या अन्य संगठन या विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

5. शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उप-धारा (4) के खंड (क) के अन्तर्गत अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि—

(क) वह केन्द्र या राज्य सरकार या स्वायत्त संगठन या विश्वविद्यालय में निम्नलिखित पद पर अधिकारी न हो—

(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित सेवा के आधार पर सदृश या समकक्ष पदों पर; अथवा

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में एक वर्ष की नियमित सेवा के आधार पर 67000—79000 रु. के वेतनमान के पद पर, और

(iii) जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएं हों—

(क) अनिवार्य :

(i) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डाक्टोरल उपाधि; और

(ii) किसी भी राज्य या केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी भी राज्य या केन्द्र सरकार के शैक्षिक संस्थान में प्राध्यापक या उसके समकक्ष पद पर कार्यानुभव;

(ख) वांछनीय :

(i) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में डाक्टोरल उपाधि;

(ii) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री;

(iii) प्रभावशाली शैक्षणिक प्रत्यय-पत्र;

(iv) अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव;

(v) विशेषत: राष्ट्रीय और अन्तरर्राष्ट्रीय ख्याति की शिक्षा से सम्बन्धित पत्रिकाओं में प्रकाशन;

(vi) प्रशासनिक, संगठनात्मक एवं नेतृत्व की सामर्थ्य का प्रदर्शन किया हो ।

6. चयन समिति का गठन.—चयन, चयन समिति की संस्तुति पर होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :—

(क) अध्यक्ष जो भारत सरकार के सचिव या उसके समकक्ष रैंक का व्यक्ति होगा अथवा जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;

(ख) केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों या केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के दो प्रमुख जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, सदस्य होंगे;

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों से बाहर के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा ।

7. अयोग्यता.—कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से साथ विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित है; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जिसका पति/पत्नी जीवित है, वह किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करता है अथवा विवाह के लिए संविदा करता है;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

बशर्ते केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि इस प्रकार का विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत अनुमत्य है एवं इस प्रकार का कार्य करने के लिए अन्य आधार हैं तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट प्रदान कर सकती है ।

8. छूट का अधिकार.—जहां भी केन्द्र सरकार का विचार है कि ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, तो वह आदेश द्वारा लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों सहित किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्ति के लिए इन नियमों के किन्हीं भी प्रावधानों में छूट दे सकती है ।

9. **प्रतिबंध.**—इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[फा. सं. 61-49/2003-ईई-10]

डॉ. अमरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

New Delhi, the 29th June, 2012

G.S.R. 159.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the National Council for Teacher Education Act, 1993, (73 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules regulating the manner of appointment and qualifications of the Chairperson of the National Council for Teacher Education, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Council for Teacher Education (Manner of Appointment and Qualifications of Chairperson) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Pay and Allowances.**—The Chairperson shall receive pay in the pay scale of Rs. 75,500—Rs. 80,000 (Higher Administrative Grade plus Scale) with annual increment at the rate of 3 per cent.

3. **Age Limit.**—The maximum age limit of appointment shall be not exceeding fifty six years as on the last date for the receipt of application.

4. **Manner and period of appointment.**—The appointment shall be made by deputation (including short term contract) on tenure basis for a maximum period of four years or till the age of sixty years, whichever is earlier.

Explanation.—For the purpose of this rule, the period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

5. **Educational and other qualifications.**—No person shall be eligible for being appointed as the Chairperson under clause (a) of sub-section (4) of Section 3 of the National Council for Teacher Education Act, 1993, unless—

(a) he is an officer of the Central Government or State Governments or autonomous organization or University, holding—

(i) analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) a post in the pay scale of Rs 67000—79000 with one year of regular service in the grade in the parent cadre or department and

(iii) possessing the following qualifications namely :-

(A) Essential

(i) Doctoral Degree from a recognised university; and

(ii) experience of working as a Professor or equivalent in State or Central University or educational institution of State or Central Government;

(B) Desirable

(i) Doctoral degree in Education from a recognized university;

(ii) Master's degree from a recognized university with First Class;

(iii) impressive academic credentials;

(iv) experience in the field of teacher education;

(v) publications in journals, especially in journals of education of national and international repute;

(vi) demonstrated administrative, organisational and leadership capability.

6. The composition of Selection Committee.—The selection shall be made on the recommendation of the Selection Committee consisting of—

(a) Chairman being a person of the rank of Secretary to the Government of India or equivalent to be nominated by the Central Government;

(b) two Heads of Institutions of the Central Educational Institutions or Central Universities or Central autonomous bodies, to be nominated by the Central Government—Members;

(c) two eminent persons from outside the Ministry of Human Resource Development and its subordinate offices - to be nominated by the Central Government—Members.

7. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[F. No. 61-49/2003-EE-l0]
Dr. AMARJIT SINGH, Jt. Secy.

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सा.का.नि. 160.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय खान ब्यूरो (चौकीदार), (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2007, भारतीय खान ब्यूरो (फराश), समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2007, खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर, दफ्तरी और चपरासी, समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2008 भारतीय खान ब्यूरो (सीनियर फील्ड अर्दली और फील्ड अर्दली), समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2008 और खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो (कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक), समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2008, को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो में बहु कार्य कर्मचारीवृन्द पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, बहु कार्य कर्मचारीवृन्द समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तम्भ 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताः—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।